तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
17-1-17	पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरीकैन उपस्थित। वकील वादी ने बहस के दौरान वाद पत्र में वर्णित तथ्यों, दस्तावेजों व शहादत के आधार पर वादपत्र को स्वीकार किये जाने की दरख्वास्त की। जबकि वकील सरकार ने बहस के दौरान वादी के वाद पत्र को खारीज किये जाने की दरख्वास्त की। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया, तथा उभय पक्षों की बहस पर मनन किया गया। विवादित आराजियात ग्राम भगवानपुरा पटवार हलका भगवानपुरा तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा में स्थित होकर हीतर s/o. जयराम कुम्हार खातेदार के नाम दर्ज रेकार्ड थी। जिसकी ताईद प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबंदी की नकल सम्वत 2059 से 2062 से होती है. हीतर s/o जयराम कुम्हार ने अपने जीवन काल में एक वसीयत नामा वादी के पक्ष में दिनांक 3-8-99 को निष्पादित किया, जिसकी ताईद प्रस्तुत वसीयत नामा की फोटो प्रति से होती है। हीतर s/o जयराम कुम्हार की मृत्यु दिनांक 3-10-2002 को हुई है। जिसकी ताईद प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण-पत्र की फोटो प्रति से होती है. प्रस्तुत दस्तावेजों व वाद पत्र में वर्णित तथ्यों व साक्ष्य के आधार है कि विवादित आराजियात ग्राम भगवानपुरा तहसील मांडल में स्थित होकर हीतर s/o जयराम कुम्हार खातेदार के नाम दर्ज रेकार्ड है. किन्तु हीतर ने अपने जीवन काल यानि मृत्यु के पूर्व एक वसीयत नामा वादी के पक्ष में निष्पादित किया। जिसमें अपने कब्जे की [illegible] चल व अचल सम्पत्तियां

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

मुकदमा बनाम

नं. सन्

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
उत्तराधिकारी बताया गया है क्योंकि हीरालाल की मृत्यु दिनांक 3-10-2002 को हो चुकी है तथा विवादित आराजियात पर वादी काबिज होकर काश्त कर रहा है. किन्तु खाते में विवादित आराजियात वादी के नाम दर्ज न होकर हीरालाल s/o जयराम कुम्हार के नाम दर्ज चली आ रही है. जबकि हीरालाल की मृत्यु हो जाने तथा वसीयतनामे के आधार पर वादी एक मात्र उत्तराधिकारी होने के कारण हीरालाल के बजाय राजस्व रेकर्ड में अपना नाम दर्ज करवाना चाहता है जिसकी पुष्टि प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से होती है. फेरोकार सरकार ने वाद पत्र के खण्डन में न तो जवाबदावा ही प्रस्तुत किया. और न ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य ही प्रस्तुत की है इस प्रकार वादी विवादित आराजियात हीरालाल के बजाय अपने नाम दर्ज कराने का अधिकारी है. उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी अपने वाद पत्र को सिद्ध कराने में सफल रहने के कारण वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता है, अतः	

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	:: आदेश ::

वादी का दावा स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी के हक साधारण की जारी की जाती है कि ग्राम भगवानपुरा पटवार हलका आवलहेड़ा तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल खसरा नं० 3150 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है उसी के अनुसार आदि वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करते हुए दीगर डा० जयराम कुम्हार का नाम विलोपित किया जावे। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करे। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तकमील शुमार की जाकर दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

ायालय उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

:: मूल वाद में डिकी ::

(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

ासीन अधिकारीः– श्री देवीसिंह रावत, आर.ए.एस.

ादमा नम्बरः–15 / 2005 राजस्व वाद

ादपत्र अन्तर्गत धारा 88–89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

लादू पिता मांगू कुम्हार, उम्र बालिग निवासी भगवानपुरा तहसील मांडल जिला ——–वादी

ालवाड़ा (राजस्थान)

बनाम

ाजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, मांडल तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा ——प्रतिवादी

(राजस्थान)

————————

वादी की ओर से श्री शरद पालीवाल, एडवोकेट और प्रतिवादी की ओर से श्री — एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद के आज दिनांक 17.1.2017 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिकी की जाती है कि — और इस मद के खर्चे लेखों प्रतिशत रुपयों की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि — को दी जायें।

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम भगवानपुरा पटवार हल्का भगवानपुरा तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 3150 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। उसी अनुसार भूमि वादी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करते हुये छीतर पिता जयराम कुम्हार का नाम विलोपित किया जावें। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें।

(देबीसिंह रावत)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी,
मांडल जिला भीलवाड़ा
मांडल जिला भीलवाड़ा

आज दिनांक 17.1.2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा